न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2014-00045Ju2014-29 Gaoutamchand etc Vs Doli Banam Math etc

---

1. गौतमचंद उर्फ बाबु सा पुत्र श्री रूपचंद जाति महाजन, निवासी- सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर, हाल निवासी- बोहरा हाउस, 2/277, आवड़ी मैन रोड़, करियानवचावड़ी पूनम मल्लई, चैन्नई- 600056, तमिलनाडु।
2. मांगीलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति महाजन, निवासी- साईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर, हाल निवासी- पता मार्फत महावीर ज्वेलरी, 52 नेहरू बाजार, आवड़ी, चैन्नई-54।
3. झूमरलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति महाजन, निवासी- साईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर, हाल निवासी- पता मार्फत महावीर ज्वेलरी, 52 नेहरू बाजार, आवड़ी, चैन्नई-54।
4. मदन लाल पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति महाजन, निवासी- साईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर, हाल निवासी- पता मार्फत महावीर ज्वेलरी, 52 नेहरू बाजार, आवड़ी, चैन्नई-54।
5. सुमेरमल पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन, निवासी- सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर, हाल निवासी- आन्दन लॉज के पास, गुरुद्वारा रोड़, जगदलपुर जिला बस्तर छतीसगढ।
6. छगनलाल पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन, निवासी- सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर, हाल निवासी- आन्दन लॉज के पास, गुरुद्वारा रोड़, जगदलपुर जिला बस्तर छतीसगढ।
7. पुखराज पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन, निवासी- सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर, हाल निवासी- आन्दन लॉज के पास, गुरुद्वारा रोड़, जगदलपुर जिला बस्तर छतीसगढ।
8. नरेन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मीचंद जाति महाजन, निवासी- सी-89 धर्मनारायण का हत्था पावटा, जोधपुर।
9. नीतिन पुत्र श्री लक्ष्मीचंद जाति महाजन, निवासी- सी-89 धर्मनारायण का हत्था पावटा जोधपुर।
10. श्रीमती सुशीला बेवा श्री लक्ष्मीचंद जाति महाजन, निवासी- सी-89 धर्मनारायण का हत्था, पावटा जोधपुर।
11. श्रीमती ज्योति पुत्री श्री लक्ष्मीचंद पत्नी श्री महेश कुमार मेहता, जाति महाजन, निवासी- 21/764 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. डोली बनाम मठ वाके देह बएतनाम पुजारी गिरधर भारती चैला भेर भारती जरिये पुजारी महंत श्री किशन भारती चैला अमान भारती चैला रूपा भारती जाति स्वामी, डोलीदार महंत पुजारी मठ भेरभारती, सोईन्तरा, निवासी- गांव सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. खेमराज पुत्र श्री सिरेमल जाति महाजन, निवासी- सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर, हाल निवासी- एच181 यू.आई.टी कॉलोनी, प्रतापनगर जोधपुर-342001 के कायम मुकामान्: -
   a. पुष्पा पत्नी श्री खेजराज, जाति महाजन, निवासी एच 118 यू.आई.टी कॉलोनी, प्रतापनगर जोधपुर।
   b. महावीरचंद पुत्र श्री खेमराज जाति महाजन, निवासी एच118 यू.आई.टी कॉलोनी, प्रतापनगर जोधपुर।
   c. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री खेमराज, जाति महाजन, निवासी- एच118 यू.आई.टी कॉलोनी, प्रतापनगर जोधपुर।
   d. मीना पुत्री श्री खेमराज, जाति महाजन, निवासी- एच118यू.आई.टी कॉलोनी, प्रतापनगर जोधपुर।
   e. सुनीता पुत्री श्री खेमराज, जाति महाजन, निवासी- एच 118 यू.आई.टी कॉलोनी, प्रतापनगर जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2014 राजस्व मूल वाद संख्या 165/2008 डोली बनाम मठ वाके देह बनाम रूपचंद इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित-

श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-अपीलांट
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-रेस्पो.संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा मूल वाद संख्या 165/2008 अनवान डोली मठ वाके देह बनाम रूपचंद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2014 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 27 मई 2014 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुई देरी का माफ किये जाने का निवदेन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या एक ने डोली बनाम मठ के नाम से एक घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद रूपचंद, सिरेमल के कायम मुकामान वगैरह अपीलांट्स के विरुद्ध इन आधारों पर प्रस्तुत किया कि खेत खसरा नं. 108 रकबा 47 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 130 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 131 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 132 रकबा 86 बीघा 15 बिस्वा, कुल रकबा 155 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम सोईन्तरा तहसील शेरगढ में आई हुई है, जो सेटलमेंट के समय डोली बनाम मठ वाके देह बएतनाम पुजारी गिरधर भारती चेला भेरभारती स्वामी के नाम से डोलीदार के नाम से दर्ज थी। संवतः 2013 से 2032 में भी उक्त भूमि भोक्ता के कॉलम में डोलीदार डोली मठ वाके बएतनाम पुजारी गिरधर भारती चैला भेर भारती कौमा स्वामी साकिन देह डोलीदार के नाम से दर्ज है। सोईन्तरा में भेरभारती के नाम से मठ व मंदिर आया हुआ है, जिसका वादी किशनभारती ने स्वयं को पुजारी व महंत बताया है व स्वयं को अमान भारती का चैला होना बताया है। यह भी उल्लेख किया है कि मंदिर मठ भेरभारती एक शाश्वत मंदिर मूर्ति जिसका वादी पुजारी है, जिसकी तरफ से वादी पेश किया गया। उक्त मठ एक विधिक व्यक्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होना लिखा गया। लेकिन संवतः 2014 से 2017 की जमाबंदी में सिरेमल केवलचंद, मिश्रीमल, चम्पालाल, हमीरमल व मंलतानमल का नाम वादग्रस्त भूमियों के बाबत दर्ज कर दिया गया, जो धारा 46 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होना लिख गया, जिस पर उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज कर समाचार प्रकाशन के जरिये तामील मानते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई तथा वादी की ओर सें स्वयं शपथ-पत्र साक्ष्य प्रस्तुत किया गया एवं प्रदर्श-1 से प्रदर्श-4 दस्तावेज पेश किये गये। उन शपथ-पत्रों पर प्रतिवादी संख्या 10 राजस्थान सरकार के पैरोकार की कोई जिरह नहीं की गई न ही अवसर दिया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ-पत्र व रेकर्ड पर उपलब्ध अन्य तथ्यों का कोई हवाला दिये बिना ही सरसरी दृष्टि से दिनांक 14 फरवरी 2014 को वादी का वाद डिक्री कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है। अपील दज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित करने में गम्भीर विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने के पूर्व ही प्रत्यर्थी लक्ष्मीचंद का देहांत दिनांक 07.12.2012 को हो चुका था, किंतु प्रत्यर्थी लक्ष्मीचंद के वारिसान् अपीलार्थीगण नरेन्द्र, नितिन, सुशीला व ज्योति को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना ही जो निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, वह विधि की दृष्टि में प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है एवं नलिटी है। किसी मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पारित निर्णय व डिक्री निष्प्रभावी होती है, क्योंकि समस्त अपीलार्थीगण व मृतक श्री लक्ष्मीचंद के हक व अधिकार संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि में क्लेम किये गये जो अविभाज्य योग्य थे। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ही निष्प्रभावी मात्र हो चुका है। अब समस्त अपीलार्थीगण जोधपुर चैन्नई, छतीसगढ को रहने वाले है एवं इस संबंध मे जो सम्मन वाद अपीलार्थीगण को भेजे गये थे, उन पर यह रिपोर्ट आई कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण जोधपुर, मदास/छतीसगढ रहते है, लेकिन इसके बावजूद अपीलार्थीगण को उनके जोधपुर, मद्रास, छतीसगढ के सही पते पर कोई सम्मन वाद का भेजा ही नहीं गया एवं जोधपुर के दैनिक समाचार पत्र **''दैनिक भास्कर''** में सम्मन प्रकाशित करवा दिये गये एवं उस आधर पर अवैध व अनाधिकार रूप से अपीलार्थीगण की तामीले मान ली गई, जिसमें मृतक व्यक्ति लक्ष्मीचंद की भी तामील मान ली। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर न देकर एवं सम्मन की विधिवत्त तामील न करवाकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे जो वाद वादी द्वारा पेश किया गया था उस वाद के प्रस्तुत करते समय प्रतिवादी रूपचंद पुत्र श्री सिरेमल का देहांत हो चुका था। ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं हो सकते थे, जहां पक्षकार वाद की कार्यवाही के दौरान ही फौत हो जाता है उसी स्थिति में आदेश 22 के प्रावधान लागू होते है। लेकिन विचित्र रूप से अवैध व अनाधिकार रूप से प्रक्रिया अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय वाद के पूर्व मृत प्रतिवादी संख्या एक के कायम मुकाम को आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी के तहत रेकर्ड पर लेने का आदेश पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश दिनांक 01.05.2012 भी अवैध व अनाधिकार रूप से पारित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री रूपचंद की पुत्रीयां भी जिन्दा है, जिन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में भी वादी का वाद निरस्त योग्य था एवं ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने डोली एवं डोलीदार की परिभाषा समझे बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ही अवैध व अनाधिकार रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दियें, जिन राजस्व रेकर्ड का हवाला वाद पत्र में वादी द्वारा दिया गया है, उनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि डोली बनाम मठ वाके देह बएतनाम पुजारी गिरधर भारती चैला भेर भारती कौम स्वामी देह डोलीदार दर्ज है। धारा2(8) राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के नीचे मठ को परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई मूर्ति शामिल नहीं है। मठ साधना का स्थल होता है एवं उसका महंत मठाधीश कहलाता है, जो एक विधिक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन मठ मूर्ति नही है न ही वह मंदिर की श्रेणी में आता है। इस कारण मठ के शाश्वत नाबालिग होने संबंधी जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत किये गय एवं जिन पर आधारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है वह सर्वथा अवैध अनाधिकार व क्षेत्राधिकार विहीन रूप से पारित की गई डिक्री व निर्णय मूर्ति को शाश्वत नाबालिक बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये वे इस मठ के हस्तगत मामले में लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की श्रेणी में ही नहीं आता है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने हेतु कोई भी आधार व कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में नहीं दर्शाया गया। किशनभारती ने स्वयं को चैला अमान भारती बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, लेकिन खरंटिया ट्रस्ट खरंटिया सिवाना बाड़मेर का पंजीयन प्रमाण इसी किशन भारती द्वारा जारी करवाया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रदर्शित भी करवाया गया है, जिसमें स्वयं को रूपाभारती का चेला होना दर्शाया गया है। वास्तव में किशन भारती इस मठ का पुजारी या महंत है ही नहीं, फिर भी उसने अधीनस्थ न्यायालय को सही तथ्य दर्शाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवा दी है जो न्यायालय को धोखा देने की श्रेणी में आता है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर साधिकार काबिज रहे है एवं आज भी मौके पर जमीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण के कब्जे में ही है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अनुतोष के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक वाद कतई पोषणीय नहीं है। किशन भारती ने इसी मठ की अन्य भूमि खसरा नं. 107 का बैचान पुजारी की हैसियत से आगे कर दिया है। जिस कारण किशन भारती अपने इस व्यवहार से ऐस्टोप्ड है एवं उसके विपरीत कोई वाद ला सकने का किशन भारती को कोई हक व अधिकार नहीं था। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के नीचे मठ से संबंधित कोई भी विधिक कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही हो सकती है, जिस बाबत राजस्व न्यायालय को वाद सुन सकने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है, बल्कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ही ऐसी कार्यवाही सुन सकने का क्षेत्राधिकार रख सकता है। पर्चा लगान भी अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम से जारी हो रखा है। वाद पूर्व प्रत्यर्थी संख्या एक वादी ने प्रत्यर्थी संख्या दो को धारा 80 सी पी सी के तहत कोई नोटिस नहीं दिया, जिस कारण भी वाद पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या दो जरिये सरकारी पैरोकार की उपस्थिति मामले में हमेशा दर्शायी है, लेकिन उसे न तो जवाबदावा का समय दिया गया ओर न ही वादी के गवाह से प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर दिया गया तथा न ही प्रतिवादी संख्या 10 सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई, जबकि निर्णय में उभय पक्ष की बहस सुनने का उल्लेख कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि दिनांक 12.05.2014 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई, जब अपीलार्थीगण दिनांक 12.05.2014 को चैन्नई, छतीसगढ व जोधपुर से आये व खेत पर गये, तब अपीलार्थीगण पटवारी से मिल जहां पटवारी ने बताया कि अपीलार्थीगण का नाम हटा दिया गया है, तब अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हासिल की एवं उसकी नकले यानि दिनांक 12.05.2014 को प्राप्त की जिन्हें पढने पर अपीलार्थीगण को आलोच्य निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री की जानकारी हुए। ऐसी स्थिति में जानकारी के आधार पर यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावे तथा गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2014 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के सम्मन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने के बावजूद भी अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विवादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से डोली बनाम मठ वाके देह बएतनाम पुजारी गिरधर भारती चेला भेरभारती स्वामी के नाम से डोलीदार के नाम से दर्ज थी। संवतः 2013 से 2032 में भी उक्त भूमि भोक्ता के कॉलम में डोलीदार डोली मठ वाके बएतनाम पुजारी गिरधर भारती चैला भेर भारती कौमा स्वामी साकिन देह डोलीदार के नाम से दर्ज है। सोईन्तरा में भेरभारती के नाम से मठ व मंदिर आया हुआ है, जिसका वादी किशनभारती पुजारी व महंत है। संवतः 2014 से 2017 की जमाबंदी में सिरेमल केवलचंद, मिश्रीमल, चम्पालाल, हमीरमल व मंलतानमल का नाम वादग्रस्त भूमियों के बाबत दर्ज कर दिया गया, जो धारा 46 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर वादी एवं राजकीय पैरोकार को सुनकर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आधोपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के मुताबिक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 09.09.2008 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। **<u>प्रतिवादीगण/अपीलांट्स</u> को भेजे गये सम्मन प्रतिवादी रूपचंद के फौत होने, लक्ष्मीचंद, खेमराज जोधपुर में रहने, मांगीलाल, झूमरलाल, मदन लाल परिवार सहित मद्रास में रहने, सुमेरमल, छगनाराम परिवार सहित छतीसगढ में रहने तथा पुखराज के मध्यप्रदेश में रहने की रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुए।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2012 को प्रतिवादी रूपचंद के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 स्वीकार किया गया, जिसमें **उसकी पुत्रियों को सम्मिलित ही नही किया गया।** अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.06.2012 को वादी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रतिवादीगण के सम्मन दैनिक समाचार पत्र में सम्मन करवाये जाने के आदेश पारित किये, जिसकी पालना में वादी द्वारा **प्रतिवादीगण के निवास क्षेत्र मद्रास, छतीसगढ, मध्यप्रदेश के क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में सम्मन प्रकाशन न करवाकर जोधपुर जिले के स्थानीय अखबार ''दैनिक भास्कर'' मे दिनांक 22 जुलाई 2012 को प्रतिवादीगण के सम्मन प्रकाशन करवाये गये,** जबकि पत्रावली पर प्रतिवादीगण के राजस्थान से बाहर रहने की सूचना पूर्व से ही उपलब्ध थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जोधपुर के स्थानीय अखबार में प्रकाशित सम्मन के आधार पर प्रतिवादीगण की तामील मानकर उनके खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 14 फरवरी 2014 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील किये बिना, उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है, जिसे यथावत नहीं रखा जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा मूल वाद संख्या 165/2008 अनवान डोली मठ वाके देह बनाम रूपचंद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह आवश्यक समस्त पक्षकारों को वाद में संयोजित करते हुए बाद सम्यक तामील उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर